Email:aayukt.ele@gmail.com ☎: 0151-2226551
Website:www.education.rajasthan.gov.in/elementary

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
   समस्तः–
2. प्रधानाचार्य
   जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
   समस्त–

विषयः– अनुपयोगी/नकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान।
संदर्भः– इस कार्यालय के कार्यालय आदेश शिविरा/प्रारं/2020/ दिनांक 20.08.2020 एवं स्मरण पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/ 2020 दिनांक 09.09.2020, 14.10.2020 एवं दिनांक 02.11.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित कार्यालय आदेश एवं स्मरण पत्र प्रथम के क्रम में लेख है कि वित्त (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशों की पालना में प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी कार्यालयों में अनुपयोगी/नकारा स्टोर्स के नियमानुसार त्वरित निस्तारण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाकर निर्देश प्रसारित किये जाकर परिपत्र से निर्गमित शिथिलन एवं अन्य निर्देशों को दृष्टि में रखते हुए और नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ विद्यालयों में स्थित अनुपयोगी/नकारा स्टोर्स का तद्नुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया गया था।

अभियान के जिला स्तर पर सफल संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिले में स्थित सभी कार्यालयों की समयबद्ध गतिविधियों का सतत प्रबोधन करने के लिए प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में एक राजपत्रित अधिकारी को प्रभारी अधिकारी मनोनीत किया जाकर उसके नाम, पदनाम एवं दूरभाष/मोबाईल नम्बर का विवरण आदेश जारी होने के 3 दिवस में निदेशालय के प्रभारी अधिकारी को अवगत करवाने हेतु कार्यालय आदेश में आदेशित किया गया था व साथ ही जिला स्तर पर मनोनीत प्रभारी अधिकारी अधीनस्थ सभी कार्यालयों से दैनंदिन सम्पर्क कर कार्यक्रम की निर्धारित तिथियों पर सबंधित कार्य का पूर्ण होना सुनिश्चित कराऐंगे और जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से तिथिवार प्रगति की सूचना निदेशालय में प्रस्तुत करना आदेशित किया गया था। परन्तु आज दिनांक तक इस संबध में किसी भी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आदेशित कार्यवाही की सूचना निदेशालय में प्रेषित नही की गई है।

www.rajteachers.com

अतः इस संबंध में लेख है कि आप अपने कार्यालय में वर्ष 2019–2020 एवं वर्ष 2020–2021 में अनुपयोगी/नकारा स्टोर्स की नीलामी से आज दिनांक तक प्राप्त राजस्व की सूचना निम्न प्रपत्र में 10 दिवस में इस कार्यालय की मेल आईडी aaorules@gmail.com पर भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को भिजवायें।

प्रपत्र

क्र.स.	जिला कार्यालय का नाम	ब्लॉक कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 2020–21	विद्यालयों की संख्या	पुस्तक मूल्य	नीलामी से आय	जी.एस.टी.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र के क्रम में इसे अति आवश्यक समझा जावें।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/

दिनांकः–05/11/2020

प्रतिलिपिः–1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को भेजकर लेख है कि अपने संबंधित जिलों से आवश्यक सूचनाऐं तैयार करवाकर निदेशालय को भिजवाने हेतु संबंधित को पाबंद करें। कार्यक्रम का प्रभावी प्रबोधन करने के निमित।

2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को भेजकर लेख है कि इस कार्यालय द्वारा बार–बार पत्राचार के बावजूद भी वांछित सूचना आपके कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नही की जा रही है। इस संबंध में श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं। अतः आप अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों की वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com